हिन्दी समाचार पत्रों को विज्ञापनों का अंग्रेजी संस्करण दिया जाना

5856. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों से प्रकाशित हो रहे हिन्दी समाचार पत्रों को विज्ञापनों का केवल अंग्रेजी संस्करण भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उनके अनुवाद में एक-रूपता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ग) क्या उक्त उपाय इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग). विज्ञापनों का हिन्दी अनुवाद सामान्यतया हिन्दी पत्रों का इस बात का विचार किए बिना भेजा जाता है कि ये पत्र हिन्दी भाषी क्षेत्रों से छपते हैं या अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से। तथापि, समयाभाव और उपलब्ध स्टाफ के कारण न जबकि वर्गीकृत विज्ञापनों की बड़ा संख्या से हिन्दी समाचारपत्रों को अंग्रेजी में रिलीज की जाती है, तथापि, नियम के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि (क) सभी सजावटी विज्ञापनों और (ख) संघ लोक सेवा आयोग के वर्गीकृत-सजावटी विज्ञापनों आदि का हिन्दी रूपान्तर तैयार किया जाए। जहां केवल अंग्रेजी रूपान्तर दिया जाता है वहां सम्बन्धित समाचारपत्रों द्वारा अनुवाद की व्यवस्था की जाती है। इसलिए अनुवाद की एक-रूपता सम्भव नहीं है। तथापि, हिन्दी के समाचार-पत्रों को यथासम्भव अधिक से अधिक विज्ञापन केवल हिन्दी में रिलीज करने के प्रयास किए जाते हैं।

Maintenance of a Roster for the Reserved Posts in C.E.A. and the Ministry of Energy

5857. SHRI D. G. GAWAI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether no roster is being maintained for the reserved posts in the Central Electricity Authority and Ministry of Energy;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to give any incentive to the stagnated Head Draftsman in Central Electricity Authority who have not been given increment for the last 10 years;

(d) whether Government propose to promote the Departmentally qualified Senior Draftsman to the post of Head Draftsman in the Central Electricity Authority; and

(e) whether a number of posts in different cadres are lying vacant in Central Electricity Authority?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) Rosters are being maintained in the C.E.A. and the Ministry of Energy for filling up vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) Does not arise.

(c) No such proposal is under consideration.

(d) According to the Recruitment Rules, a Senior Draftsman in the pay scale of Rs. 425—700 in the Central Electricity Authority with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing at least a certificate in Electrical or Mechanical Draftsmanship or Engineering is eligible for consideration for promotion as Head Draftsman. Promotions to the posts of Head Draftsman are made accordingly.

(e) A statement showing the number of vacancies in various categories of posts in the Central Electricity Authority is attached.